

28 8
23

पत्रावली पेश हुई। कोर्ट ने व वजीरकोट में
बार-बार -भावात्मक यत्न कर भावाज को गिर
गई, परन्तु इसी कोर्ट ने जोर भी उपस्थित नहीं
होने से ज.प.ग. वाकत. कोर्ट निषेधाज्ञा अदम
हाजरी एवं कदम चोखी में श्वारिज रिहा जाया है।
पत्रावली के तहत तुम्हारे होकर पूर्व कदम ले स
तना बाद हमीत जाया दारिदर दखल है।

(प्रतीक)

ए. सी. ई. एम. (फा. टै.)
नवलगढ़

शायदी
वास

1. म
2.

महोदय,
प्र
रोचामें टै
1. यह कि
न्यायाल
आधारि
पूरी पू

